समाहरणालय, सहरसा
(ज़िला कल्याण शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–03 / 2021–22

वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए सहरसा जिलान्तर्गत अनु०जति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों में सफाई कर्मी (महिला / पुरूष) / सुरक्षा (रात्री) प्रहरी (महिला / पुरूष), कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, कार्यालय परिचारी इत्यादि को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने हेतु मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक सेवाप्रदाता / फर्म दिनांक–06-02-21 को 04:00 बजे अपराहन् तक जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित कर सकते है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें दिनांक–09-02-21 को 11:00 बजे पूर्वाहन् में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। इच्छुक निविदादाता जिला के बेबसाईट www.saharsa.nic.in पर पूर्ण जानकारी हेतु देख सकते है।

निविदा की शर्ते :–

1. सेवाप्रदाता को अग्रधन राशि के रूप में 50000/– (पचास हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के नाम से देय होगा, को जमा करना होगा। सेवाप्रदाता जिसका चयन नहीं होगा उनका अग्रधन वापस कर दी जाऐगी।
2. संस्थान का पंजीकरण (Registration) श्रम विभाग या उद्योग विभाग से होना चाहिए।
3. सिक्यूरिटी एजेंसी चलाने हेतु अनुज्ञप्ति / एन०ओ०सी० संबंधित प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए।
4. GST पंजीकरण संबंधी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति, प्रतिष्ठान क प्रोपराईटर के पैन कार्ड की छायाप्रति, पिछले तीन वित्तीय वर्ष– (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) का ऑडिट रिपोर्ट की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) संलग्न करना होगा।
6. सेवाप्रदाता के आयकर रिर्टन में बिगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल–25 (पच्चीस) लाख का लेन–देन (Turn over) होना चाहिए एवं इस आशय का आवश्यक कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति।
7. सेवाप्रदाता पर फौजदारी / दिवानी मामला में कोई मामला दर्ज नहीं हो एवं काली सूची में नहीं दर्ज होने संबंधित शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
8. सेवाप्रदाता को किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी / निगमों कार्यालयों इत्यादि में कार्य करने कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जायेगी तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य संतोषप्रद होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. सेवाप्रदाता द्वारा श्रम संसाधन विभाग द्वारा लेबर लाईसेस सहित निर्धारित दर (E.P.F & E.S.I) कटौती की राशि सम्मिलित करनी होगी तथा अन्य मानकों को पूरा करना होगा।
10. सेवाप्रदाता को आचरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. **चयनित** सेवाप्रदाता द्वारा संबंधित आवासीय विद्यालय/छात्रावास में जिला कल्याण पदाधिकारी के निदेश पर ही आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी/सुरक्षा (रात्री) प्रहरी (महिला/पुरूष), कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, कार्यालय परिचारी इत्यादि को प्रतिनियुक्ति किया जायेगा।

12. निविदा में सफल होने वाले संस्था को आउटसोर्स के माध्यम से सेवाप्रदान करने हेतु जमानत के रूप में मो०–2,00,000.00 (दो लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी के पक्ष में एकरारनामा के समय जमा करना होगा जो अनुबंध के सफल संचालन/समाप्ति के बाद सेवाप्रदाता को वापस किया जा सकेगा।

13. निविदादाता को श्रम विभाग से लेबर लाईसेंस होना चाहिए तथा कर्मियों का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० का भी नियमानुसार अंशदान करना होगा।

14. सेवाप्रदाता द्वारा एकरारनामा के बाद सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. सेवाप्रदाता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा।

16. आदेश निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर संबंधित विद्यालय/छात्रावासों में सेवा प्रदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा अन्य एकरारनामा रद्द करते हुए अन्य चयनित निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत की जायेगी।

17. उच्चाधिकारी के द्वारा समय–समय पर विद्यालय सुरक्षा एवं सफाई से संबंधित निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सुरक्षा में लपरवाही एवं साफ–सफाई की शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर सेवाप्रदाता के साथ किये गए एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।

18. बिना कारण बताये निविदा या आंशिक निविदा को स्थगित करने पूर्ण रूप से रद्द करने या आवश्यक प्रतीत होने पर उपरोक्त नियम–शर्तें में बदलाव करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित, होगा।

19. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र सहरसा होगा।

11.01.21
जिला कल्याण पदाधिकारी
सहरसा

उप विकास आयुक्त
सहरसा